



Neutral Citation No. - 2026:AHC:164182

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 5740 वर्ष 2026

वसीम

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के लिए अधिवक्ता

आलोक शर्मा

प्रतिपक्षी(गण) के लिए अधिवक्ता

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. यह आवेदक की ओर से दायर किया गया द्वितीय जमानत आवेदन है। उनके प्रथम जमानत आवेदन को माननीय न्यायमूर्ति मोहम्मद असलम द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 10227 वर्ष 2022 में पारित आदेश दिनांक 5.7.2022 द्वारा खारिज कर दिया गया था। लेकिन चूंकि माननीय न्यायमूर्ति मोहम्मद असलम ने पद छोड़ दिया है और यह पीठ इस प्रकार के मामलों से निपट रही है, इसलिए यह द्वितीय जमानत आवेदन आज इस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक शर्मा और राज्य-प्रतिवादी के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री आशुतोष सिंह को सुना।
3. वर्तमान आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 598 वर्ष 2020, अंतर्गत धारा 302, 34 भारतीय दंड संहिता और धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, पुलिस स्टेशन दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर के संबंध में अवर न्यायालय में विचारण की लंबितता के दौरान, आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि आवेदक की ओर से दायर किया गया यह द्वितीय जमानत आवेदन है और उनका प्रथम जमानत आवेदन इस न्यायालय की समवर्ती पीठ द्वारा गुणदोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान मामले में, आवेदक 12.9.2020 से यानी पिछले छह वर्षों से जेल में है और आज तक मामले का विचारण पूरा नहीं हो सका है।
5. उन्होंने आगे कहा कि अब तक बाईस साक्षियों में से केवल तीन की ही जांच हो सकी है और इसलिए विचारण के शीघ्र निपटारे की कोई अपेक्षा नहीं है।
6. उन्होंने आगे कहा कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि आवेदक विचारण में देरी कर रहा है।
7. उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना देखी गई है। दो प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा परिसाक्ष्य दी गई है और दोनों साक्षियों से पहले ही विचारण न्यायालय द्वारा पूछताछ की जा चुकी है, इसलिए यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान मामले के अलावा, आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है।
9. उन्होंने आगे यह भी कहा कि अतः मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए।
10. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत हेतु प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि यह आवेदक की ओर से दायर किया गया द्वितीय जमानत आवेदन है और आवेदक मुख्य अभियुक्त है जिसने चाकू से चोटें पहुंचाकर मृतक की हत्या की है, लेकिन इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान मामले के अलावा, आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में आवेदक पिछले लगभग छह वर्षों से जेल में है।
11. वह इस तथ्य को भी अस्वीकार नहीं कर सके कि आज तक बाईस साक्षियों में से केवल तीन की ही जांच की जा सकी है और इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि आवेदक विचारण में देरी कर रहा है।
12. वह इस तथ्य को भी अस्वीकार नहीं कर सके कि घटना के दो साक्षी थे और दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों से विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही पूछताछ की जा चुकी है।
13. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है।
14. हालांकि, यह आवेदक की ओर दायर किया गया द्वितीय जमानत आवेदन है और उसका प्रथम जमानत आवेदन इस न्यायालय की समवर्ती पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था, लेकिन इससे यह

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



स्पष्ट होता है कि वर्तमान मामले में आवेदक पिछले छह वर्षों से जेल में है और आज तक मामले का विचारण पूर्ण नहीं हो सका है।

15. अभिलेख से पता चलता है कि अब तक बाईस साक्षियों में से केवल तीन की ही जांच हो सकी है और ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण कछुए की गति से चल रहा है और इसलिए इसके शीघ्र निपटारे की कोई संभावना नहीं है।

16. इसके अलावा, ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि आवेदक विचारण में देरी का कारण बन रहा है।

17. इसके अलावा, वर्तमान मामले के अलावा, आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है।

18. यह कानून सर्वविदित है कि त्वरित विचारण का अधिकार अभियुक्त का मौलिक अधिकार है और इसके उल्लंघन पर, गंभीर मामलों में भी, उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है और आवेदक के लगभग छह वर्षों के लंबे कारावास को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि उनके त्वरित विचारण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है।

19. हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने **साहिल मनोज मचारे बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2026 एससीसी ऑनलाइन एससी 810** के मामले में, पिछले चार वर्षों से जेल में बंद अभियुक्त द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार करते हुए, प्रस्तर-6 में निम्नलिखित संप्रेक्षण किया:

"6. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि याचिकाकर्ता पर हत्या का आरोप है, लेकिन हमने बार-बार कहा है कि अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, यदि शीघ्र विचारण के अधिकार का उल्लंघन होता है, तो न्यायालय को जमानत की दलील पर उचित रूप से विचार करना चाहिए।"

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



20. साहिल मनोज मचारे (उपरोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए संप्रेक्षणों से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक के शीघ्र विचारण के अधिकार का उल्लंघन होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामले में भी लगभग चार साल के कारावास पर विचार करते हुए उसे जमानत पर रिहा कर दिया।

21. इसलिए, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा उपर्युक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए संप्रेक्षणों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय के मत के अनुसार, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में उसके शीघ्र विचारण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है।

22. इसलिए, मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार किया जाता है।**

23. उपरोक्त मामले में आवेदक- **वसीम** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानती, प्रत्येक समान राशि के प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक को निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

24. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

25. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां किए गए संप्रेक्षण जमानत आवेदन के निपटारे से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त संप्रेक्षणों का विचारण के दौरान मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

5 अगस्त, 2026

अंकिता

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”